

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

कमाक:प0 12(1)चिस्वा/2/2019/पी-1553

जयपुर, दिनांक:

31-07-19

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:—डॉ0 प्रियंका सिंह, चिकित्सा अधिकारी को कार्यग्रहण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 प्रियंका सिंह, चिकित्सा अधिकारी जो स्वैच्छा से अनुपस्थित रहकर पुनः कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हुई है को पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2) के अनुसार दण्ड स्वरूप उनकी प्रोबेशन अवधि बढ़ायी जाकर उनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से कर्त्तव्य पर मानी जावेगी।

डॉ0 प्रियंका सिंह, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्हेर, जिला भरतपुर में किया जाता है।

भवदीय,

- ६० -

(संजय कुमार)
शासन. उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1—विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2—विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय।
- 3—निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 4—मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
- 5—डॉ0 प्रियंका सिंह, चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक (जनस्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 6—रक्षित पत्रावली / कम्प्यूटर कक्ष।

07/08/2019
सहायक शासन सचिव